अंग और ऊतक('टिशू) के दान से संबंधित कानून शरद ऋतु 2020 में बदल रहा है - यह तथ्य पत्रक आपके विकल्पों का वर्णन करता है।

स्कॉटलैंड में दान करने के कानून को क्यों बदला जा रहा है?

स्कॉटलैंड में, 550 से ज़्यादा लोग हर समय अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि हम प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची में शामिल उन लोगों के जीवन को बचाने और बेहतर बनाने के लिए अपने सभी प्रयास करें।

2018 में, स्कॉटलैंड में 58,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 1% से कम मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में या उन स्थितियों की वजह से हुई जिसमें उनके अंगों के प्रत्यारोपण पर विचार किया जा सकता था।

क्या बदल रहा है?

प्रत्यारोपण उद्देश्यों हेतु 'निर्णीत प्राधिकार' की नई प्रणाली शुरु करने के लिए कानून बदल रहा है। आमतौर पर इसे 'ऑप्ट आउट' प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

इसका मतलब यह है कि यदि आपने यह पुष्टि नहीं की है कि आप दान करना चाहते हैं या नहीं - उदाहरण के लिए, अगर आप NHS ऑर्गन डोनर रजिस्टर में अपना निर्णय दर्ज करते हैं, तो कानून यह मान लेगा कि मृत्यु हो जाने पर आप अपने अंग और ऊतक दान करना चाहते हैं, और दान के लिए आपके अधिकार को दान दिया गया माना जा सकता है।

यह बदलाव किस पर लागू होगा?

यह स्कॉटलैंड के ज़्यादातर वयस्कों पर लागू होगा, हालांकि यह बदलाव इन समूहों पर लागू नहीं होगा:

- ऐसे लोग जिनकी आयु 16 वर्ष से कम है
- ऐसे लोग जिनमें नई प्रणाली को समझने और ज़रूरी कार्रवाई करने की क्षमता में कमी है
- ऐसे लोग जो स्कॉटलैंड में अपनी मृत्यु से 12 महीने से कम समय पहले से रह रहे हैं। अगर इन समूहों में से किसी व्यक्ति की मृत्यु उन परिस्थितियों में हो जाती है जिसमें वे दान कर सकते हैं और उन्होंने 'दान करने (ऑप्ट इन)' या 'दान न करने (ऑप्ट आउट)' का निर्णय नहीं लिया था, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार के किसी सदस्य से पूछा जाएगा कि वे दान अधिकृत करना चाहते हैं या नहीं।

मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपने पहले से ऐसा नहीं किया हुआ है, तो आपको दान के बारे में निर्णय लेना चाहिए, फिर अपने निर्णय को NHS ऑर्गन डोनर रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए और साथ ही अपने परिवार और मित्रों को अपने इस निर्णय से अवगत कराना चाहिए, जिससे वे यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकें कि आपके निर्णय का सम्मान हो।

अगर आप अपने अंग और ऊतक दान करना चाहते हैं

आप NHS ऑर्गन डोनर रजिस्टर में अपना निर्णय नीचे दिए गए किसी भी तरीके से दर्ज कर सकते हैं

www.organdonationscotland.org/yes

या **0300 303 2094** पर कॉल करके

अगर आप अपने अंग और ऊतक दान नहीं करना चाहते

आप NHS ऑर्गन डोनर रजिस्टर पर दान नहीं करने का अपना निर्णय दर्ज करके नीचे दिए गए किसी भी तरीके से अभी ऑप्ट आउट कर सकते हैं

निम्न पर ऑनलाइन: www.organdonationscotland.org/no

या **0300 303 2094** पर कॉल करके

अगर आप पहले से पंजीकृत हैं और

- **अपना विवरण अपडेट करना चाहते हैं**
- **अपने निर्णय की फिर से पुष्टि करना चाहते हैं**
- **या अब ऑप्ट आउट करने का निर्णय लेना चाहते हैं**

तो आप नीचे दिए गए तरीके से ऐसा कर सकते हैं: www.organdonationscotland.org/update
या **0300 303 2094** पर कॉल करके

Healthier Scotland
Scottish Government

अगर मैं इनमें से कुछ भी न करूं, तो क्या होगा?

नई प्रणाली के लागू हो जाने के बाद, अगर आपका संबंध किसी वर्जित समूह से नहीं है और आपकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हो जाती है जिसमें आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना निर्णय दर्ज नहीं किया हुआ, तो यह माना जाएगा कि आप दान करना चाहते हैं। आपका निर्णय चाहे जो भी हो और आप चाहे अपना निर्णय दर्ज करें या न करें, आपके लिए अपने परिवार के सदस्यों को अपनी इच्छा के बारे में बताना ज़रूरी है।

अगर आपके पास ऐसा कोई खास निर्देश है कि आप किन अंगों या ऊतक को दान करना चाहेंगे या किन अंगों या ऊतक को दान नहीं करना चाहेंगे, तो आपको NHS ऑर्गन डोनेशन रजिस्टर में अपना दान निर्णय दर्ज करते समय इस विषय में भी जानकारी दे देनी चाहिए।

अगर मैं ऑप्ट आउट नहीं करता/करती, तो क्या मेरे अंग और ऊतक सरकार की संपत्ति माने जाएंगे?

नहीं। अंग और ऊतक का दान एक महा-उदार कृत्य है । प्रणाली में इस तरह की पर्याप्त व्यवस्थायें की गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित करने में आसानी हो कि दान आपकी इच्छाओं के विरुद्ध न किया जाए।

अगर आपने दान के बारे में निर्णय नहीं लिया है, तो आपके परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका होगी?

अंग और ऊतक दान के विकल्प पर चर्चा करने के लिए हमेशा ही संभावित दाता के परिवार के सदस्यों से पूछा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि NHS ऑर्गन डोनर रजिस्टर में दर्ज किया गया कोई भी निर्णय आपका सबसे नया ज्ञात निर्णय है।

अगर आपने कोई निर्णय दर्ज नहीं किया है, तो आपके परिवार के सदस्यों से आपके विचारों के बारे में पूछा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दान उस स्थिति में न किया जाए, जहाँ यह आपकी इच्छा के विरुद्ध हो।

क्या मेरे निर्णय को मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा बदला जा सकता है?

आपका निर्णय जो भी हो, इसका सम्मान किया जाएगा और इसे आपके परिवार के सदस्यों द्वारा नहीं बदला जा सकता। अगर आपने अपना मन बदल दिया हो, तो आपके परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों से हमेशा आपके हाल के विचारों के बारे में पूछा जाएगा।

अंग दान होने से पहले कौन-कौन सी चिकित्सा जांच हो सकती हैं?

चूंकि मृत्यु के बाद अंग दान बहुत जल्दी से करना जरूरी होता है, इसलिए यह देखने के लिए नियमित रुप से कुछ जांचें की जाती हैं कि प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता के लिए सुरक्षित हो और इसके सफल होने की संभावना को बढ़ाया जा सके। आमतौर पर इनमें रक्त जांच, मूत्र जांच और एक्स-रे शामिल हैं।

organdonationscotland.org पर अंग तथा ऊतक दान और अपने विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी पाएं

अगर आपको वेबसाइट पर मनचाही जानकारी नहीं मिल रही है या अगर आप अभी भी अनिश्चय की स्थिति में हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो कृपया ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें: 0300 303 2094

Healthier Scotland
Scottish Government